

पत्रांक :-
प्रेषक,

पटना,

दिनांक :-

निदेशक
खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
बिहार, पटना।

विषय :- मेसर्स श्री जगन्नाथ कोल्ड स्टोरेज प्रा0 लि0, समस्तीपुर को खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की समेकित विकास योजनान्तर्गत परियोजना को चतुर्थ (अंतिम) किश्त के रूप में ₹ 65.21 लाख (पैंसठ लाख एककीस हजार) मात्र की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

2- इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष-2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता माँग सं0-23, उप शीर्ष-0160-प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड-23-2852801020160 विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद से की जायेगी।

3- इस राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना डी0डी0ओ0 कोड -IND010 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में 0160.33.01 सब्सिडी मद में प्राप्त आवंटन से की जायेगी।

4- इस राशि का भुगतान मेसर्स श्री जगन्नाथ कोल्ड स्टोरेज प्रा0 लि0, समस्तीपुर के यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, माहीददीननगर ब्रांच, मोहीददीननगर बाजार, समस्तीपुर के नो-लियन खाता सं0- 0782050012102 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UTBI0MHD496 में RTGS के माध्यम से स्थानान्तरित/डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा।

5- मेसर्स श्री जगन्नाथ कोल्ड स्टोरेज प्रा0 लि0, समस्तीपुर को खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की समेकित विकास योजनान्तर्गत देय अनुदान की कुल राशि ₹ 331.28 लाख (तीन सौ एकतीस लाख अठाईस हजार) होता है। जिसे क्रमशः 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 40 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत के चार किश्तों में विमुक्त किया जाना है। अतः प्रथम किश्त के रूप में ₹ 33.13 लाख (तेतीस लाख तेरह हजार) मात्र की विमुक्ति विभागीय आदेश ज्ञापांक 955 दिनांक 23.09.2014 के द्वारा किया गया है।

परियोजना को देय अनुदान की द्वितीय किश्त के रूप में ₹ 66.26 लाख (छियासठ लाख छब्बीस हजार) मात्र की विमुक्ति विभागीय आदेश ज्ञापांक 1122 दिनांक 01.12.2014 के द्वारा किया गया है।

परियोजना को देय अनुदान की तृतीय किश्त के रूप में ₹ 132.51 लाख (एक सौ बत्तीस लाख एकावन हजार) मात्र की विमुक्ति विभागीय आदेश ज्ञापांक 709 दिनांक 10.08.2015 के द्वारा किया गया है।

पुनः परियोजना को चतुर्थ (अंतिम) किश्त के रूप में ₹ 65.21 लाख (पैंसठ लाख एककीस हजार) मात्र की विमुक्ति विभागीय आदेश ज्ञापांक 955 दिनांक 23.09.2014 में निहित शर्तों के अधीन किया जाता है।

6- देय अनुदान की विमुक्ति के प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
निदेशक (खा0प्र0)
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आकष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
निदेशक (खा0प्र0)
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/लेखा शाखा, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आकष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
निदेशक (खा0प्र0)
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड शाखा, विधेयभवन, पटना को सूचनार्थ। उनसे अनुरोध है कि डिमान्ड ड्राफ्ट में संबंधित इकाई के नो-लियन खाता संख्या को अंकित कर दिया जाये।

ह0/-
निदेशक (खा0प्र0)
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/श्री भी0एन0 ठाकुर, उप निदेशक (तक0) खा0 प्र0 निदेशालय, बिहार, पटना/माननीय उद्योग मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग पटना/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/मेसर्स श्री जगन्नाथ कोल्ड स्टोरेज प्रा0 लि0, समस्तीपुर/शाखा प्रबंधक, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, माहीददीननगर ब्रांच, मोहीददीननगर बाजार, समस्तीपुर एवं प्रबंधक, IL&FS-CDI Ltd, तीसरा एवं चौथा तल्ला, आरकेड बिजनेस कॉलेज, अपोजिट संत कैरेन्स सेकेन्ड्री स्कूल, खगौल रोड, नियर सगुना मोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक (खा0प्र0)
उद्योग विभाग, बिहार पटना।